

**राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान**  
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016  
(यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)

फा. सं. 13-1.5/एओ/2022-23/इवेंट  
दिनांक: 27 मई, 2022

### **परिपत्र**


राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) की फरवरी, 1962 में नई दिल्ली में एशिया में प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापना की गई थी। नीपा अब अपने 60 साल के अस्तित्व का समारोह मना रही है। नीपा के माननीय कुलपति ने संस्थान के अतीत, वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों को उजागर करने के लिए हीरक जयंती समारोह की योजना बनाने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है।

एक समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. प्रोफेसर आरती श्रीवास्तव               | : अध्यक्ष      |
| उच्चतर एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग         |                |
| 2. प्रोफेसर नीरु स्नेही                   | : सदस्य        |
| उच्चतर एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग         |                |
| 3. डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा                | : सदस्य        |
| शैक्षिक योजना विभाग                       |                |
| 4. डॉ. अमित गौतम                          | : सदस्य        |
| विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग       |                |
| 5. डॉ. कश्यपी अवस्थी                      | : सदस्य        |
| राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र         |                |
| 6. डॉ. वी. सुचरिता, शैक्षिक प्रशासन विभाग | : सदस्य        |
| 7. कुलसचिव                                | : सदस्य        |
| 8. वित्त अधिकारी                          | : सदस्य        |
| 9. सुश्री बबीता बलोदी, छात्र प्रतिनिधि    | : सदस्य        |
| 10. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)           | : संयोजक सदस्य |

समिति वर्ष भर की गतिविधियों, आयोजनों और प्रस्तावित बजट, प्रत्येक कार्यक्रम/गतिविधि का आवश्यक विवरण, स्थल की आवश्यकताओं आदि के लिए एक कार्य योजना का मसौदा तैयार कर सकती है, ताकि हीरक जयंती समारोह अपने सर्वोत्तम संभव तरीके से आयोजित किया जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



27.५.२०२२

(डॉ. डी. एस. ठाकुर)  
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति:

समिति के अध्यक्ष/ सदस्य

संस्थान के सभी संकाय सदस्य/ अधिकारी एवं कार्मिक तथा छात्रगण

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव- कुलपति के सूचनार्थ
2. कुलसचिव के निजी सहायक- कुलसचिव के सूचनार्थ
3. सभी विभागाध्यक्ष/ केन्द्रों के अध्यक्ष/ प्रभारी
4. सिस्टम एनालिस्ट- परिपत्र को वेबसाइट-'स्टाफ-कॉर्नर' पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
5. फाइल